रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1985/फाल्गुन 11, 1906
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1985/PHALGUNA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1985

का. नि. आ. 1(अ) —छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 99-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्वाचन आयोग की ओर से लोक सभा/विधान सभाओं के आम निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित ड्यूटी पर प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वाहनों को, उन सभी करों के भुगतान से मुक्त करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी छावनी की स्थानीय सीमाओं में लगाया जाता है ।

[फाइल संख्या-53/15/सी/भू. व छा./84/1220/डी(क्यू.एण्ड.सी.)]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd March, 1985

S.R.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by section 99-A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby exempts all vehicles used on duty on behalf of the Election Commission in connection with the conduct of elections to the House of People and the Legislative Assemblies from the payment of any tax imposed on vehicles under the provisions of the said Act within the local limits of any cantonment

[File No. 53|15|C|L&C|84|1220|D(Q&C)]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985